रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-एम.एच.-अ.-18052024-254227 CG-MH-E-18052024-254227

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] No. 358] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2024/वैशाख 27, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2024/VAISAKHA 27, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिसुचना

मुंबई, 17 मई, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/179 — बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन)
 विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में,-
 - I. विनियम 8 में, उप-विनियम (16) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम (17) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-"(17) कीमत में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव होने की वजह से और जिस घटना आदि की जानकारी मिले उसकी पुष्टि होने की वजह से लक्षित कंपनी (टार्गेट कंपनी) के इक्किटी शेयरों की कीमत पर जो असर पड़े, उसे, इस विनियम के तहत प्रस्ताव कीमत (ऑफर प्राइस) तय करने के

3083 GI/2024 (1)

लिए, सूचीबद्धता (लिस्टिंग) संबंधी विनियमों के विनियम 30 के उप-विनियम (11) के तहत निर्धारित किए गए ढाँचे के अनुसार शामिल नहीं किया जा सकेगा।"

II. विनियम 9 में, उप-विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम (6) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(6) कीमत में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव होने की वजह से और जिस घटना आदि की जानकारी मिले उसकी पृष्टि होने की वजह से सूचीबद्ध (लिस्टिड) इक्विटी शेयरों (जो शेयरों के बदले दिए जाते हैं) की कीमत पर जो असर पड़े, उसे, इस विनियम के तहत ऐसे इक्विटी शेयरों की कीमत तय करने के लिए, सूचीबद्धता (लिस्टिंग) संबंधी विनियमों के विनियम 30 के उप-विनियम (11) के तहत निर्धारित किए गए ढाँचे के अनुसार शामिल नहीं किया जा सकेगा।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./127/2024-25]

पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/24/30181, 23 सितम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 तत्पश्चात् :
 - क) 26 मार्च, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/36/7368, द्वारा
 - ख) 8 अक्तूबर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा
 - ग) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
 - घ) 24 मार्च, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2014-15/28/542, द्वारा
 - ङ) 5 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी.एन.आर.ओ./ ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/004, द्वारा
 - च) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/009, द्वारा
 - छ) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/026, द्वारा
 - ज) 17 फरवरी, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/035, द्वारा
 - झ) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/002, द्वारा

ञ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा

3

- ट) 14 अगस्त, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/015, द्वारा
- ठ)
 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण)

 (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/20, द्वारा
- ड) 11 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/33, द्वारा
- ढ) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एलए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2018/55, द्वारा
- ण) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/06, द्वारा
- त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/27, द्वारा
- थ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा
- द) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एन आरओ/जीएन/2020/14, द्वारा
- ध) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/19, द्वारा
- न) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/20, द्वारा
- प) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2021/19, द्वारा
- फ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा
- ब) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/46, द्वारा
- भ) 6 दिसम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/60, द्वारा

- म) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/98, द्वारा
- य) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 17th May, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/179 — In exercise of the powers conferred under section 30 read with clause (h) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, namely:-

- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2024.
- 2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, -
 - I. in regulation 8, after sub-regulation (16), the following new sub-regulation (17) shall be inserted, namely,-
 - "(17) The effect on the price of the equity shares of the target company due to material price movement and confirmation of reported event or information may be excluded as per the framework specified under sub-regulation (11) of regulation 30 of the listing regulations for determination of the offer price under this regulation."
 - II. in regulation 9, after sub-regulation (5), the following new sub-regulation (6) shall be inserted, namely,-
 - "(6) The effect on the price of the listed equity shares, which are offered as consideration, due to material price movement and confirmation of reported event or information may be excluded as per the framework specified under sub-regulation (11) of regulation 30 of the listing regulations for determination of the price of such equity shares under this regulation."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./127/2024-25]

Footnotes:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were published in the Gazette of India on 23rd September, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011 12/24/30181.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 were subsequently amended on:
 - a) March 26, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Sharesand Takeovers) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2012 13/36/7368.
 - b) October 8, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
 - c) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - d) March 24, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/28/542.

- e) May 5, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/OIAE/GN/2015-16/004.
- f) August 14, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD NRO/GN/2015-16/009.
- g) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Fourth Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/026.
- h) February 17, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/035.
- i) May 25, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/002.
- j) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification dated March 29, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
- k) August 14, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/015.
- 1) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/20.
- m) September 11, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/33.
- n) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Sharesand Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2018/55.
- o) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2019/06.
- p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/27.
- q) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- r) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2020/14.
- s) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/19.
- t) July 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/20.
- u) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/19.
- v) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- w) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2021/46.
- x) December 6, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO /GN/ 2021/60.
- y) November 9, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/98.
- z) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.